बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

।। संकल्प ।।

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि मो० शाहनवाज आलम, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, दी नवादा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, नवादा सम्प्रति प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, भोजपुर, आरा के विरूद्ध प्रबंध निदेशक, दी नवादा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, नवादा के पदस्थापन काल में माइग्रा खाता का समर्पित विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त परिलक्षित गबनित राशि मो0 17,35,066/– (सत्रह लाख पैंतीस हजार छियासठ) रुपये मात्र के मामले में दोषी कर्मियों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करने का निदेश प्रबंध निदेशक को दिया गया था। दिनांक–06.07.2020 को निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में एफ0आई0आर0 संबंधी समीक्षात्मक बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रबंध निदेशक द्वारा उक्त बैंक में गबनित राशि हेतु दोषी कर्मियों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करने के दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं करना सरकारी कार्यों के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–17(3) के तहत आरोप पत्र गठित किया गया एवं विभागीय पत्रांक–4164 दिनांक–14.08.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। स्पष्टीकरण का जवाब अप्राप्त रहने पर विभागीय पत्रांक–5231 दिनांक–13.10.2025, पत्रांक–5850 दिनांक–24.11.2025, पत्रांक–111 दिनांक–06.01.2026 द्वारा स्मारित भी किया गया। इसके बावजूद प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, भोजपुर, आरा का स्पष्टीकरण का जवाब अप्राप्त रहा।

मो० आलम के विरूद्ध गठित आरोप एवं उनसे पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाव अप्राप्त रहने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(5)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि मो0 आलम के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17 के तहत विहित रीति से अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जायेगी।

2. उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गयाजी को संचालन पदाधिकारी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प एवं आरोप–पत्र की एक–एक प्रति (साक्ष्य सहित) संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गयाजी को संचालन पदाधिकारी / जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा –सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं मो शाहनवाज आलम, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, दी नवादा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, नवादा सम्प्रति प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(कुमारी आरती)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :.. / पटना, दिनांक :..................................
8 / नि॰को॰(रा॰)विभागीय–714 / 2020

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गयाजी–सह–संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह॰/–
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :.. / पटना, दिनांक :..................................
8 / नि॰को॰(रा॰)विभागीय–714 / 2020

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह॰/–
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :.. / पटना, दिनांक :..................................
8 / नि॰को॰(रा॰)विभागीय–714 / 2020

निबंधित

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ मो० शाहनवाज आलम, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, दी नवादा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, नवादा सम्प्रति प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह॰/–
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :.. / पटना, दिनांक :..................................
8 / नि॰को॰(रा॰)विभागीय–714 / 2020

प्रतिलिपि :– निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना / उप सचिव (प्रशाखा–1), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह॰/–
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :.......2457....... / पटना, दिनांक :.....11/05/26.....
8 / नि॰को॰(रा॰)विभागीय–714 / 2020

प्रतिलिपि :– लोक सूचना पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / आई॰ टी॰ मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

07/05/26

विशेष कार्य पदाधिकारी।

1521
07-05-2026

F:\section-8\2025\Ved prakash\Sankalp-sahnwaz alam.doc